भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2886
दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

कुंभ मेले में हताहतों की संख्या

†2886. श्री के.सी. वेणुगोपाल:
डॉ. नामदेव किरसान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कुंभ मेले में हाल ही में हुई भगदड़ में कितने लोग मारे गए हैं और कितने घायल हुए हैं;

(ख) भगदड़ के कारणों की जांच के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए न्यायिक जांच या अन्य जांच शुरू की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पीड़ितों और घायलों के परिवारों को कोई सहायता या राहत प्रदान की है यदि हां, तो ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों और पुलिस विभागों को क्या परामर्श जारी किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। धार्मिक सभाओं का आयोजन, भीड़ प्रबंधन, भक्तों के लिए सुविधाओं का प्रावधान, सभा के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा की रोकथाम आदि 'सार्वजनिक व्यवस्था' से निकटता से जुड़े हुए हैं, जो राज्य का विषय है। राज्य में हुई किसी भी प्रकार की आपदाओं की जांच करना, जिसमें भगदड़ भी शामिल है तथा मृतक भक्तों और घायल व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कार्यक्रमों और सामूहिक समारोहों के आयोजन स्थलों पर भीड़ के प्रबंधन पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा भी भीड़ नियंत्रण पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें भीड़ के प्रबंधन के लिए अपने स्वयं के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और उपयुक्त अधिकारियों के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करने के लिए इन टेम्पलेट्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

*****